भारतीय दण्ड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत आदेष

भारत सरकार व हरियाणा सरकार द्वारा कोरोना वायरस की बिमारी को महामारी घोषित किया गया है। इस सम्बन्ध मे माननीय प्रधानमन्त्री महोदय भारत सरकार द्वारा राष्ट्र के नाम अपने सम्बोधन के दौरान कोरोना वायरस की रोकथाम हेतू दिनांक 22.03.2020 को प्रातः 7:00 बजे से रात्रि 09:00 बजे तक जनता के लिए जनता द्वारा लगाए गए जनता कर्फ्यु का पालन करने बारे अपील की गई थी ताकि कोरोना वायरस की महामारी की रोकथाम के सार्थक प्रयास किये जा सके।

माननीय प्रधानमन्त्री महोदय भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस की रोकथाम हेतू जनता कर्फ्यु का पालन करने बारे की गई अपील को देश की जनता द्वारा सफल बनाया गया है जिसके दुष्टिगत रात्रि 09:00 बजे जनता कर्फ्यु का समापन होने उपरान्त आमजन द्वारा एक दूसरे को बधाई देते हुए गलियों तथा सडकों पर एक साथ अधिक मात्रा में निकलकर आयोजन/जश्न मनाये जाने का अन्देशा है। इस दौरान असामाजिक/शरारती तत्व द्वारा किसी भी अप्रिय घटना को अन्जाम देने पर जिले की कानून व शांति व्यवस्था भंग होने का भी अन्देशा है।

अतः मैं डा0 आदित्य दहिया, भा.प्र.से., जिलाधीश, जीन्द दण्ड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आज रात्रि 09:00 बजे उपरान्त जनता कर्फ्यु के समापन के दृष्टिगत आमजन द्वारा किसी भी प्रकार के आयोजन/जश्न मनाये जाने तथा एक जगह पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के इकटठा होने या फिर इकठ्ठा होने हेतु वाहन में जाने पर तुरन्त प्रभाव से प्रतिबन्ध लगाता हूं।

उपर्युक्त आदेश की अवहेलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध आई0पी0सी0 की धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

यह आदेश डाक्टरों, स्वास्थय कर्मचारियों, हस्पताल के स्टाफ, आपातकालीन सेवाओं तथा कोरोना वायरस से निपटने के लिए लगाई गई डियुटियों पर लागू नही होगा।

इस आदेश की जिला सूचना एवं लोक सम्पर्क अधिकारी, जीन्द द्वारा विस्तृत मुनादी करवाई जायेगी तथा इसका कचहरी, उपमण्डल, तहसील कार्यालयों, सार्वजनिक स्थानों व पुलिस स्टेशनों पर नोटिस चस्पा करके प्रसार किया जावे।

यह आदेश आज दिनांक 22.03.2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर कार्यालय द्वारा जारी किया गया है।

DISTRICT MAGISTRATE JIND (HARYANA)

जिलाधीश, जीन्द 22/3/20

पृ0 क्रमांक 391–410/एमए दिनांक 22.03.2020

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित हैः–

1. मुख्य सचिव हरियाणा सरकार, चण्डीगढ।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग हरियाणा, चण्डीगढ।
3. पुलिस महानिदेशक हरियाणा, चण्डीगढ।
4. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, (Law & Order) हरियाणा, चण्डीगढ को उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक 4/स्पै0 दिनांक 22.03.2020 के सन्दर्भ में।
5. आयुक्त, हिसार मण्डल, हिसार।
6. पुलिस महानिरीक्षक, हिसार रेंज, हिसार।
7. जिला एवं सत्र न्यायधीश, जीन्द।
8. पुलिस अधीक्षक, जीन्द।
9. अतिरिक्त उपायुक्त, जीन्द।
10. उपमण्डल अधिकारी (ना), जीन्द/सफीदों/नरवाना/उचाना।
11. जिला राजस्व अधिकारी, जीन्द।
12. जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, जीन्द।
13. जिला के सभी तहसीलदार/नायब तहसीलदार।
14. जिला के सभी खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी।
15. जिला सूचना एंव लोक सम्पर्क अधिकारी, जीन्द।
16. आशुलिपिक समीप उपायुक्त/नगराधीश, जीन्द।

DISTRICT MAGISTRATE JIND (HARYANA)

जिलाधीश, जीन्द 22/3/20